संख्या : 4/2016/1540/छप्पन-2015-2/15

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 2016**

विषय : विंग कमां0 जी0पी0 सिंह, पायलट को दिनांक 19-04-2015 से दिनांक 01-05-2015 तक मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में कराये गये ट्रेनिंग के यात्रा बीजक के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 586/ना0उ0नि0/लेखा/15, दिनांक 9.10.2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 28/2015/427(2)/छप्पन-2015-2/15, दिनांक 13.4.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विंग कमां0 जी0पी0 सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 19-04-2015 से दिनांक 01-05-2015 तक मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में कराये गये प्रशिक्षण हेतु इंगित शासनादेश दिनांक 13.4.2015 द्वारा यात्रा व्यय हेतु रूपये 2,61,100/- (रूपये दो लाख इकसठ हजार एक सौ मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विदेश यात्रा से वापस आने के उपरान्त श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत यात्रा बीजक रूपये 3,03,153/- का भुगतान करने हेतु पूर्व में स्वीकृत अग्रिम धनराशि रूपये 2,61,100/- को समायोजित करते हुए राज्यपाल महोदय अवशेष धनराशि रूपये 42,053/- (रूपये बसालिस हजार तिरपन मात्र) के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश संख्या- 28/2015/427(2)/छप्पन-2015-2/15, दिनांक 13.4.2015 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 4/2016/1540(1)/छप्पन-2015 तददिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- सम्बन्धित अधिकारी।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।